

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा आर.ए.एस.

अपील संख्या 47/2012/225 आरटीए

1. हेतराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. हरदयाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. श्योपत पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. राजाराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. दलीप पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. साहबराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. सजना देवी पत्नि सांवलाम राम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. महेन्द्र कुमार पुत्र सांवलाराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. विनोदकुमार पुत्र सांवलाराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. रामनिवास पुत्र सांवलाराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. उग्रसेन पुत्र सांवलाराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—: अपीलान्टस

बनाम

1. महेश्वरी पुत्री केसराराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. पृथ्वीराज पुत्र शांतिदेवी पत्नि श्योकरण जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. लूणी देवी पुत्री शांतिदेवी पत्नि श्योकरण जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. ऐशी देवी (फौत)
5. निरमा देवी पुत्री शांतिदेवी पत्नि श्योकरण जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. गोगादेवी पुत्री शांतिदेवी पत्नि श्योकरण जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

—: रेस्पोजेन्टान

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.03.2012 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
प्रकरण संख्या 64/2006 अनवानी हेतराम आदि बनाम स्टेट

उपस्थित :-

श्री शमशेरसिंह संधू अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री भवानीसिंह निर्वाण अधिवक्ता रेस्पोजे सं० 1 ता 6

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजे सं० 7

निर्णय

दिनांक 15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांअ सं. 1 ता 6 व 7 ता 11 के पूर्वज सांवलाराम विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी 1955 से पूर्व कृषि भूमि चक 11 एनडीआर

की 16.492 है० व चक 7 एनडीआर की 12.755 है० कुल 29.247 है० भूमि मे से 2/3 हिस्सा यानि 19.498 है० अपीलांट को व 1/3 हिस्सा की भूमि 9.749 है० के खातेदारी अधिकार देने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र मे रेस्पों सं. 2 ता 7 ने प्रस्तुत आकर जवाब प्रस्तुत किया व प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे स्वयं को 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदारी का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा अपीलांट व 1/2 हिस्सा का रेस्पों सं. 1 ता 6 को खातेदार घोषित किया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

2. अपीलान्टस व रेस्पोंडेन्ट ने अदालत में हाजिर आकर इन कथनों के साथ राजीनामा पेश किया कि पक्षकारान जो एक ही परिवार के सदस्य है जिनका आपस मे राजीनामा हो गया है। रेस्पों सं. 4 ऐसी देवी लाओलाद फौत हो चुकी है जिसके कानूनी व जायज वारिस रेस्पों सं. 2, 3, 5, 6 है जो पूर्व से ही अपील मे पक्षकार है। स्व. गंगाराम के तीन पुत्र रतीराम, सुरजाराम व केसराराम थे जिसमे रतीराम के वारिसान मे सावंताराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान अपीलांट सं. 7 ता 11 है तथा सुरजाराम लावल्द फौत हो चुका है तथा केसराराम मे उसकी पुत्री महेश्वरी व शांतिदेवी है, शांतिदेवी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान रेस्पों सं. 2 ता 6 है। चूंकि मिकरान का आपस मे राजीनामा (पारिवारिक समझौता) हो गया है। मुताबिक राजीनामा (पारिवारिक समझौता) चक 11 एनडीआर की 16.492 है० व चक 7 एनडीआर की 12.755 है० कुल तादादी 29.247 है० भूमि अपीलांट सं. 1 ता 6 का 16.716 है० प्रत्येक का 2.786 है० तथा अपीलांट सं. 7ता11 का 2.786 है० बहिस्सा बराबर तथा रेस्पों सं. 1 का 4.872 है० व रेस्पों सं. 2, 3, 5 व 6 को 4.873 है० भूमि मे बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा होगा व इसी अनुसार ही प्राप्त करेंगे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे तो पक्षकारान को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। अतः मुताबिक राजीनामा अपील हाजा का निस्तारण किया जावे तो पक्षकारान का कोई आपत्ति एतराज नहीं है।
3. उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता को राजीनामा पर सुना गया। बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया।
4. विद्वान अधिवक्तागण अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्टस दौराने बहस राजीनामा मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा अपील हाजा का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। विचारणीय न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2012 मे राजीनामा के अनुसार संशोधन किये जाने का कथन किया।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट्स एक ही परिवार के सदस्य है तथा जिनका आपस में राजीनामा हो गया है। रेस्पों सं. 4 ऐसी देवी लाओलाद फौत हो चुकी है जिसके कानूनी व जायज वारिस रेस्पों सं. 2, 3, 5, 6 है जो पूर्व से ही अपील में पक्षकार है। स्व. गंगाराम के तीन पुत्र रतीराम, सुरजाराम व केसराराम थे जिसमें रतीराम के वारिसान में सावंताराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान अपीलान्ट सं. 7 ता 11 है तथा सुरजाराम लावल्द फौत हो चुका है तथा केसराराम में उसकी पुत्री महेश्वरी व शांतिदेवी है, शांतिदेवी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान रेस्पों सं. 2 ता 6 है। मुताबिक राजीनामा अपील हाजा का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। विचारणीय न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2012 में राजीनामा के अनुसार संशोधन किये जाने का कथन किया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2012 में मुताबिक राजीनामा संशोधन किया जाना न्यायोचित है।
7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2012 में संशोधन किया जाकर किया जाता है कि चक 11 एनडीआर की 16.492 है० व चक 7 एनडीआर की 12.755 है० कुल 29.247 है० भूमि में अपीलान्ट सं. 1 ता 6 (हेतराम, हरदयाल, श्योपत, राजाराम, दलीप व साहबराम पि० रतीराम) का 16.716 है० प्रत्येक का 2.786 है० तथा अपीलान्ट सं. 7 ता 11 (सजना पत्नि सांवलाराम, महेन्द्र कुमार, विनोदकुमार, रामनिवास व उग्रसैन पि. सांवलाराम) का 2.786 है० बहिस्सा बराबर तथा रेस्पों सं. 1 (महेश्वरी पुत्री केसराराम) का 4.872 है० व रेस्पों सं. 2, 3, 5, 6 (पृथ्वीराज पुत्र शांतिदेवी, लूणी, निरमा व गोगादेवी पुत्रियां शांति देवी) का 4.873 है० हिस्सा होगा व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2012 यथावत रहेगा। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बड़जलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या 217/2011/223 आरटीए

सुखमन्द्र सिंह उर्फ सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला
सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। —: अपीलान्ट

बनाम

1. बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुरचरण सिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुखपालसिंह पुत्र गुरतेजसिंह जाति जटसिख निवासी बहादरगढ़ जण्डिया तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
4. नेमपाल सिंह पुत्र गुरतेजसिंह जाति जटसिख निवासी बहादरगढ़ जण्डिया तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
5. छिन्द्रपाल कौर पुत्री गुरतेजसिंह जाति जटसिख निवासी बहादरगढ़ जण्डिया तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
6. हरगोविन्द सिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. हमीर सिंह उर्फ मखनसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. नाजमसिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. निर्मलकौर पुत्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

10. दर्शनसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. दलीप सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. जगसीर सिंह पुत्र हरफूल सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. करनैलसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. करतारसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. मुख्त्यार कौर पुत्री मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. प्रताप कौर पत्नि गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. गुरदीप सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. बलविन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. बलजीत सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. जसवीर कौर पुत्री जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. बलदेव कौर पत्नि जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

22. नाजर सिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. पालासिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा संगरिया।
25. शाखा प्रबन्धक श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा।
26. शाखा प्रबन्धक श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया।
27. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा संगरिया।
28. उप पंजीयक संगरिया।
29. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—: रेस्पोजेन्टान

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्रकरण संख्या 21/2007 अनवानी सुखमन्द्र सिंह उर्फ सुखमहेन्द्र सिंह बनाम बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह आदि मे पारित निर्णय दिनांक 25.08.2011 को निरस्त करने हेतु

आज यह अपील रुबरू हाजिर श्री नवीन कुमार मोदी अधिवक्ता अपीलान्ट, श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोजे सं० 1, श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोजे सं. 2, श्री रोहित सिंह खींची अधिवक्ता रेस्पोजे सं. 3 ता 9 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजे सं० 29 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.08.2011 व डिक्री दिनांक 25.08.2011 को निरस्त किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा चक नं० 9 एन.के.आर. प०नं० 135/149 मु०नं० 11 किला नं० 19/.127, 22/.253 कुल 0.380 है० प०नं० 135/150 मु०नं० 12 किला नं० 2, 9, 10/.253प्रं. कुल 0.759 है०, प०नं० 133/150 मु०नं० 14 किला नं० 5/.228, 6/.253, गै.मु./0.025 कुल 0.506 है०, प०नं० 127/152 मु०नं० 25 किला नं० 1-9ता 12, 19 ता 22/.253प्रं. कुल 2.277 है० कुल तादादी 3.922 है०, अर्थात् 15.50 बीघा, चक नं० 9 एन.के.आर. किला नं० 12/.126 व 19/.253, तादादी 0.379 है०, चक नं० 7 एन.के.आर. प.नं०

136/149 मु0नं0 11 किला नं0 1 ता 4,/.253प्रं. 5-6/.228प्रं., किला नं0 7 ता 10/.253प्रं., गै.मु./ .051 कुल 2.531 है0, प0नं0 137/149 मु0नं0 12 किला नं0 7 ता 14/.253प्रं. कुल 2.024 है0, प0नं0 135/157 मु0नं0 56 किला नं0 3/.253, 8/.253, 9/.126, 12/.063, कुल 0.695 है0 कुल तादादी 5.250 है0 अर्थात 20.75 बीघा का सुखमन्द्र सिंह पुत्र जरनैलसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक नं0 9 एन.के.आर. प0नं0 135/149 मु0नं0 11 किला नं0 3-4/.228प्रं., 5/.202, 6/.228, 7 ता 9, 12 ता 14/.253प्रं., 15/.228, 16/.228, 17-18/.253प्रं., 19/.126, 23-24/.253प्रं., 25/.228, गै.मु./ .202, कुल 4.427 है0, प0नं0 135/150 मु0नं0 12 किला नं0 3-4/.253प्रं., 8/.253, कुल 0.759 है0, प0नं0 127/152 मु0नं0 25 किला नं0 2-3-8-13-14-16 ता 18, 23, 24/.253प्रं. कुल 2.530 है0 कुल तादादी 7.716 है0 अर्थात 30.49 बीघा, चक नं0 6 एन.के.आर. प0नं0 139/151 मु0नं0 30 किला नं0 16/.253 कुल 0.253 है0 प0नं0 139/153 मु0नं0 39 किला नं0 20, 21/.253प्रं. कुल 0.506 है0 प0नं0 138/153 मु0नं0 40 किला नं0 16/.228, 17-18/.253प्रं. गै.मु./ .025 कुल 0.759 है. कुल तादादी 1.518 है0 अर्थात 6 बीघा का गुरचरणसिंह पुत्र जरनैलसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं0 15 ए.एम.पी. के खाता सं0 21/8 के प0नं0 139/160 (22) किला नं0 16, 25 तथा इसी चक 15 ए.एम.पी. के खाता सं0 21/8 में पत्थर नं0 140/160 (23) किला नं. 21, 22 कुल तादादी 1.012, चक नं0 15 ए.एम.पी. के खाता सं0 45/60 में प0नं0 139/160 (22) किला नं0 23, 24 तथा चक नं0 15 ए.एम.पी. के खाता सं0 45/60 में प0नं0 140/160 (27) किला नं0 1 तथा चक नं0 15 ए.एम.पी. के खाता सं0 45/60 में प0नं0 139/161 (28) किला नं0 3/2/.126 व किला नं0 4 तादादी 1.138 है0, चक नं0 7 एन.के.आर. के खाता सं0 9/6 में पत्थर नं0 139/149 (11) किला नं0 10/.126, किला नं0 11 ता 25 तादादी 3.795 है0 अर्थात 15-1/2 बीघा, चक 15 ए.एम.पी. के खाता संख्या 15/24 प0नं0 139/160 मुरब्बा नं0 22 किला नं0 16-25/.253 है0 कुल .506 है0, प0नं0 140/160 मु0नं0 23 किला नं0 21/.253, 22/.228 कुल .481 है0, मु0नं0 67 किला नं0 1/0.025 गै.मु. खाला, कुल बीघा 5

अर्थात् 1.012 है0 खाता का कुल योग 4.50 बीघा का बलवन्त सिंह उर्फ बन्तासिंह पुत्र जरनैलसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा चक नं0 9 एन.के.आर. पं0नं0 135/149 मु0नं0 11 में गुरचरण सिंह किला नं0 5/.127, 6-15-16-25/.253 है0प्रं. को सुखमन्द्र सिंह के हक में छोड़ेगा। चक नं0 9 एन.के.आर. के प0नं0 135/149 मु0नं0 11 में सुखमन्द्र सिंह किला नं0 19/.127, किला नं0 22/.253 तथा प0नं0 135/150 मु0नं0 12 किला नं. 2, 9, 10/.253 है0प्रं. को गुरचरणसिंह के हक में छोड़ेगा। चक नं0 9 एन.के.आर. खाता संख्या 36/39 में जरनैलसिंह पुत्र ठोलासिंह कौम जटसिख साकिन जण्डवाला खातेदार जो कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट के पिता थे तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के नाम प0नं0 134/150 मु0नं0 13 किला नं0 14/.253 है0 सुखमन्द्र सिंह प्राप्त करेगा जिस पर गुरचरण सिंह व बलवंत सिंह को कोई एतराज नहीं होगा। इसी अनुसार भू-राजस्व कायम किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.09.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ